राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–986/2017/श्रीगंगानगर

जसकरण सिंह पुत्र गुरचरण सिंह,
जाति जट सिख, निवासी 65 आर.बी.
तहसील रायसिंहनगर, जिला, श्रीगंगानगर। ....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपमहानिरीक्षक,
पंजीयन एंव मुद्रांक, वृत्त हनुमानगढ। ...अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री राजेन्द्र सिंह बराड़
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 28.02.2018**

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमागनढ (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के पत्र क्रमांक 2410 दिनांक 10.04.2017 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के रिफण्ड प्रार्थना पत्र को समयावधि में प्राप्त नहीं होने के कारण निरस्त करते हुये उपरोक्त पत्र से प्रार्थी को सूचित किया है जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने राशि रू. 12,000/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प दिनांक 25.10.16 को विक्रय पत्र पंजीयन करवाने हेतु क्रय किये परन्तु विक्रय पत्र पंजीयन नहीं होने के कारण रिफण्ड प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2017 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र क्रमांक 2410 दिनांक 10.04.2017 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया कि उनके द्वारा आवेदन दिनांक 20.03.17 को प्रस्तुत किया है। स्टाम्प दिनांक 25.10.16 के क्रयशुदा है जो लिखे हुये है जिनका निष्पादन दिनांक 25.10.16 को हुआ है। निष्पादन होने के दो माह की अवधि में आवेदन करने पर ही रिफण्ड किया जा सकता है। इस आधार पर प्रार्थी का आवेदन समयावधि में प्राप्त नहीं होने के कारण निरस्त किया गया है तथा उपरोक्त पत्र द्वारा सूचना दी गई है जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

लगातार.....2

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत एंव न्यायोचित नहीं है। न्यायालय ने विवेचना एवं कारण स्पष्ट किये बिना निर्णय पारित किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 59(iii) के अुनसार किसी भी पक्षकार द्वारा दस्तावेज निष्पादित होने पर रिफण्ड आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा छः माह है। प्रार्थी का रिफण्ड आवेदन पत्र समय सीमा में है। अतः रिफण्ड आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे व निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी ने राशि रू. 12,000/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प दिनांक 25.10.16 को विक्रय पत्र पंजीयन करवाने हेतु क्रय किये परन्तु विक्रय पत्र पंजीयन नहीं होने के कारण रिफण्ड प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2017 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र क्रमांक 2410 दिनांक 10.04.2017 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया कि उनके द्वारा आवेदन दिनांक 20.03.17 को प्रस्तुत किया है। स्टाम्प दिनांक 25.10.16 के क्रयशुदा है जो लिखे हुये है जिनका निष्पादन दिनांक 25.10.16 को हुआ है। निष्पादन होने के दो माह की अवधि में आवेदन करने पर ही रिफण्ड किया जा सकता है। इस आधार पर प्रार्थी का आवेदन समयावधि में प्राप्त नहीं होने के कारण निरस्त किया गया है तथा उपरोक्त पत्र द्वारा सूचना दी गई है

8. अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन पत्र में न तो किसी विधिक प्रावधान का उल्लेख किया है व न ही कारण स्पष्ट किया है कि प्रार्थी का आवेदन किस आधार पर समय सीमा में नहीं है।

9. विचाराधीन प्रकरण के सम्बन्ध में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 59(iii) का उल्लेख करना समीचीन है जो निम्न प्रकार है :–

59 - Application for relief under section 58 when to be made The application for relief under section 58 shall be made within the following periods, that is to say, -

(iii) in the case of a stamped paper in which an instrument has been executed by any of the parties thereto, within six months after the date of the instrument, or, if it is not dated, within six months after the execution thereof by the person by whom it was first or alone executed:

लगातार.....3

विचाराधीन प्रकरण में स्टॉम्प पेपर दिनांक 25.10.16 को क्रय किये गये है जिन पर दस्तावेज लिख भी दिया गया है तथा विक्रेता पक्ष हरविन्दर कौर के हस्ताक्षर होने के कारण एक पक्ष द्वारा निष्पादित भी कर दिया गया है जिससे यह दस्तावेज 59(iii) की श्रेणी में माना जाना चाहिए जिसमे रिफण्ड आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा छः माह है। निगरानीधीन पत्र क्रमांक 2410 दिनांक 10.04.17 के अनुसार प्रार्थी ने रिफण्ड प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.17 को प्रस्तुत किया है जो दिनांक 25.10.16 से छः माह की समय सीमा में है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र समयावधि में माना जाकर रिफण्ड आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश विधिसम्मत नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर प्रार्थी का रिफण्ड प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि बाद सत्यापन नियमानुसार रिफण्ड जारी करे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति के साथ स्टाम्प पेपर भी अग्रिम कार्यवाही हेतु वापिस लौटाये जावे।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य